# POLICE COMMISSIONERATE
# GAUTAM BUDH NAGAR
## सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.08.2025

**1. थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी/स्वॉट-2 टीम द्वारा अवैध गाँजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 क्विंटल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गाँजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त कैन्टर बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **28.08.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस व सीआरटी/स्वॉट-2 टीम** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध गाँजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त 1.अजय कुमार पुत्र राजू 2.नीरज वत्स उर्फ नीरू पुत्र यशदेव वत्स 3.हिमांशु जाटव पुत्र कमल किशोर को निम्मी विहार पुस्ते से कुलेसरा की तरफ नलकूप के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल **01 क्विंटल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गाँजा(अनुमानित कीमत 40 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त एक कैन्टर बरामद** किया गया है।

**अपराध करने का विवरण-** अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह लोग कटक, उड़ीसा राज्य से सस्ते दामो में गांजा खरीदकर कैन्टर गाड़ी में चोरी छिपे लेकर आते है तथा नोएडा/एनसीआर क्षेत्र में मंहगे दामो में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।

1. अभियुक्तों द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घुमफिरकर नशे के आदी लोगो को गांजा बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जाता है।
2. अभियुक्तों द्वारा अपने सह अभियुक्त सोनू उर्फ मौहम्मद सादाब व जे0पी0 नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध गांजे को कटक उड़ीसा से सस्ते दामो में लाकर आर्थिक लाभ कमाया जाता है।
3. ये सभी अभियुक्त आईसर कैन्टर(वाहन) में अवैध गांजे को बोरे में पैकेटो में छिपाकर लाते थे। जिससे किसी को शक न हो और पकड़े न जा सके।
4. ये सभी अभियुक्त अधिकतर पकड़े जाने के डर से आपस में व्हाट्सएप्प कॉल से बात करते थे ताकी पुलिस इनको ट्रेक न कर सके।
5. ये सभी अभियुक्त प्राइवेट वाहनों व रेलमार्ग से गांजा लाते है और ऐसे रेलवे स्टेशन पर उतरते है जहां तलाशी नही होती है।
6. सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।

**अभियुक्तों का विवरण--**

1. अजय कुमार पुत्र राजू निवासी ज्वाहर नगर, रोहटा रोड़ थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ उम्र 27 वर्ष शिक्षा- 5वी तक।

2. नीरज वत्स उर्फ नीरू पुत्र यशदेव वत्स निवासी डुन्डाहेड़ा, थाना उद्योग विहार, फेस-1, गुरूग्राम हरियाणा उम्र 35 वर्ष शिक्षा- कक्षा-7वी तक।
3. हिमांशु जाटव पुत्र कमल किशोर निवासी गांव बड़ापुरा, थाना नगीना, जिला बिजनौर वर्तमान पता रोहटा रोड़ थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ उम्र 25 वर्ष शिक्षा-अशिक्षित।

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--**

- **अभियुक्त अजय कुमार**

1. मु0अ0सं0 294/2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ।
2. मु0अ0सं0 603/2018 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ।
3. मु0अ0सं0 1192/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ।
4. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त नीरज वत्स**

1. मु0अ0सं0 001/2021 धारा 8(सी)/20/29 एनडीपीएस एक्ट, एनसीबी लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त हिमांशु**

1. मु0अ0सं0 415/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण--**

1. 01 क्विंटल 82 किलो 350 ग्राम अवैध गाँजा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये है।)
2. 01 आईसर कैन्टर गाड़ी रजि नं0 एचआर 55 ए0आर0 4616

**डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिल व एक अवैध चाकू बरामद।**

**2. थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिल व एक अवैध चाकू बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **28.08.2025** को **थाना सेक्टर-58 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान सेक्टर-62, एनआईबी चौकी क्षेत्र से चोरी की 02 मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों की निशानदेही पर इनके एक अन्य साथी को **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर जयपुरियो चौराहे के पास पार्क से 08 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की कुल 10 मोटरसाइकिल व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। बरामद हुयी 01 मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पर व 02 मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में भी जानकारी की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण--** अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करके उनके पुर्जे अलग करके कबाड़ियों को बेचते थे। अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और उन्हें छिपाकर पुर्जे बेचते थे। एक अन्य मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 यूपी14एफके-9140) के बारे में पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उस मोटरसाइकिल को पुर्जों में बेच दिया गया, जिसके संबंध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2) बीएनएस दर्ज है। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो वाहन चोरी का काम करते है। इनके द्वारा की गयी आपराधिक घटनाओं व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**अभियुक्तों का विवरण--**

1. अफजल पुत्र मुस्ताक, निवासी ग्राम बरौली, थाना जवाँ जिला अलीगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. अफरीद मलिक उर्फ भूरा पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बरौली, थाना जवाँ, जिला अलीगढ़ उम्र 19 वर्ष।
3. आस मोहम्मद पुत्र अल्लाहमेहर निवासी ग्राम बरौली, थाना जवाँ, जिला अलीगढ़, उम्र 45 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण--**

1. मोटरसाइकिल डिस्कवर (रजि0 नं0 यूपी14सीडी-7224 सम्बन्धित मु0अ0सं0 261/25, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, नोएडा)
2. मोटरसाइकिल अपाचे (रजि0 नं0 डीएल7एसके-6563, सम्बन्धित ई-पुलिस स्टेशन डट थेफ्ट, दिल्ली, क्राइम नं0 020983/25)
3. मोटरसाइकिल पल्सर (रजि. नं0 डीएल9एसएजी- 3971,सम्बन्धित ई-पुलिस स्टेशन डट थेफ्ट, दिल्ली, क्राइम नं0 021652/25)
4. मोटरसाइकिल सीडी डॉन (रजि0 नं0 यूपी15पी 8611)
5. मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो (रजि0 नं0 डीएल5एसएके 0818)
6. मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (रजि0 नं0 यूपी17वी 0645)
7. मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स (रजि0 नं0 डीएल14एसजे 4491)
8. मोटरसाइकिल पैशन प्रो (रजि0 नं0. डीएल7एसएएम 4521)

9. मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (रजि0 नं0 यूपी16ईजे 7753)
10. मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 यूपी16डीए 7306)
11. अभियुक्त अफजल के कब्जे से एक अवैध चाकू

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मु0अ0सं0-198/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-261/25 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. क्राइम नं0 020983/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ई-पुलिस स्टेशन एंटी थेफ्ट, दिल्ली।
4. क्राइम नं0 021652/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ई-पुलिस स्टेशन एंटी थेफ्ट, दिल्ली।
5. मु0अ0सं0-314/25 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।

**3. थाना दनकौर पुलिस द्वारा डेयरी मालिक के 10 लाख रुपयो को फर्जी लूट दिखाकर गबन करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना के 10 लाख रूपये व घटना प्रयुक्त गाड़ी एवं अवैध असलाह बरामद।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 21.08.2025 को मैं अपनी दूध की डेयरी से बिक्री के कलेक्शन का पैसा अपने ड्राईवर उमेश को देकर उसकी गाड़ी से अपने घर के लिये भेजा था जो कि कुछ देर बाद ड्राइवर के भाई से मुझे सूचना मिली कि उमेश को किसी ने गोली मार कर पैसा लूट लिया गया है और उमेश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर मु0अ0सं0 229/25 धारा 318(4) /316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **28.08.2025** को **थाना दनकौर पुलिस** द्वारा यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा के पास से अभियुक्त उमेश पुत्र नरेन्द्र पाल को मय अर्टिगा गाडी नं0 यूपी 83 डीटी 8772 के गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उमेश की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस को भागीरथ बिहार के सामने यमुना एक्सप्रेस वे की झाडियो में से बरामद किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रनपाल सिंह निवासी ग्राम नंगला खरगा थाना फरिया जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को यमुना एक्सप्रेस के0एम0पी0 के पास ग्राम जगनपुर जाने वाली सर्विस रोड से मय वगैनॉर कार रजि0 नं0 यूपी 83 डीटी 1793 मय 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस मय घटना में गबन किये गये 10 लाख रुपयो के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

**अपराध करने का तरीका--** अभियुक्त उमेश उपरोक्त द्वारा अपने साले पवन उपरोक्त के साथ मिलकर 10 लाख रूपये गवन करने का प्लान बनाया था। दिनांक 21.08.2025 को उमेश उपरोक्त को मालिक जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा कलेक्शन के 10 रुपये देकर घर रखने के लिये भेजा था। अभियुक्त उमेश द्वारा पवन उपरोक्त को पहले ही रास्ते में मिलने के लिये बता दिया था। अभियुक्त पवन उपरोक्त बैगनार कार लेकर आया तथा भागीरथ बिहार के सामने यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर आया और अभियुक्त उमेश द्वारा प्लानिंग के तहत अपने मालिक जितेन्द्र के 10 लाख रूपयो से भरा बैंग अपने साले पवन को देकर मालिक जितेन्द्र को लूट दिखाने के उद्देश्य से अपने साथ लिये तमंचे से खुद के बाये कंधे पर कार अर्टिगा में बैठे हुए गोली मार ली और उस तमंचे को वही सर्विस रोड की झांड़ियो में फेंक दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. उमेश पुत्र नरेन्द्र पाल निवासी ग्राम महरिया थाना फरिया जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 32 वर्ष
2. पवन कुमार पुत्र रनपाल सिंह निवासी ग्राम नंगला खरगा थाना फरिया जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--**

मु0अ0सं0 229/2025 धारा 316(2)/61(2)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरण---**

10 लाख रूपये नगद
02 तंमचा .315 बोर
01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
01 खोखा कारतूस .315 बोर
01 अर्टिगा कार रजि0 नं0 यूपी 83 डीटी 8772 (घटना में प्रयुक्त)
01 बैगनार कार रजि0 नं0 यूपी 83 डीटी 1793 (घटना में प्रयुक्त)